संख्या-3/2017/789एस0सी0/18-2-17-74/2014

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 28 जुलाई, 2017

विषय- उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की बन्द सहकारी चीनी मिल सठियांव के स्थान पर नई चीनी मिल, को-जनरेशन प्लान्ट तथा आसवनी की स्थापना हेतु प्राविधानित धनराशि को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 के पत्र संख्या-1049/यू0पी0एफ0/एफए/स्टेट-60/2017 दिनांक 24.05.17 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की बन्द सहकारी चीनी मिल सठियांव के स्थान पर 3500 टी0सी0डी0 क्षमता की नई चीनी मिल, को-जनरेशन प्लान्ट तथा आसवनी की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखा अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 1667.63 लाख (रू0 सोलह करोड़ सरसठ लाख तिरसठ हजार मात्र) के 5/12 भाग तक अर्थात रू0 694.85 लाख (रू0 छः करोड़ चौरान्वे लाख पचासी हजार मात्र) के व्यय की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि कृपया वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-1 के पैरा-223 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आहरित कर उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की सठियांव चीनी मिल को विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण एवं को-जनरेशन प्लान्ट की स्थापना हेतु तत्काल उपलब्ध कराएँ:-

(i) राज्य सरकार की सामान्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऋण की अदायगी 10 वर्षों में की जायेगी।

(ii) ब्याज दर 15 प्रतिशत (11.50 + 3.50) प्रतिवर्ष वार्षिक होगी। मूलधन एवं ब्याज की नियमित अदायगी पर ब्याज दर में 3.5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी तथा प्रभावी ब्याज दर 11.50 प्रतिशत होगी।

(iii) मूलधन/ ब्याज अदायगी में व्यवधान होने पर 3.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य न होगी तथा प्रभावी ब्याज दर 15 प्रतिशत देय होगी। दण्डात्मक ब्याज दर अदायगी की निश्चित तिथि से अदायगी की वास्तविक तिथि के ठीक पूर्व तक लागू रहेगी।

(iv) मूलधन एवं ब्याज की पहली किश्त की अदायगी की तिथि ऋण आहरण की पहली वर्षगांठ तिथि होगी। अग्रतर किश्तों की अदायगी इसी प्रकार एक वर्ष की समाप्ति पर पड़ने वाली वर्षगाँठ तिथि को की जानी होगी।

2- उक्त धनराशि उसी प्रयोजन के लिए व्यय की जाएगी, जिस हेतु स्वीकृत की गई है।

3- उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 ऋण के आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँ।

5- भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जाएगा जब यह सुनिश्चित हो जाए कि संघ ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहें और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा देंगें।

6- इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/महालेखाकार को प्रेषित किया जाएगा।

7- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियन्त्रक/ मुख्य/ वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखानुदान की अनुदान सं0-24 के लेखाशीर्षक-6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-04-चीनी-101-सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज-08-बन्द सहकारी चीनी मिल सठियांव के स्थान पर 3500 टी0सी0डी0 क्षमता की नई चीनी मिल एवं को-जनरेशन प्लान्ट तथा आसवनी की स्थापना-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जाएगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6/402/दस-17 दिनांक 27 जून, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-3/2017/789(1) एस0सी0/ 18-2-2017-तददिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
5- चीनी उद्योग अनुभाग-1/ 3
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।